न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 07 / 2021 प्रार्थना पत्र   निर्णय दिनांक–14.06.2021

1. गीताबाई पुत्री गिरधारीलालजी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. नाथुलाल पुत्र गिरधारीलालजी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. बालुराम पुत्र हीराजी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. श्यामलाल पुत्र हीराजी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. नानीबाई बेवा हीराजी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. नंदकिशोर पिता बद्रीलालजी जाति काछी आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. हुकमीचंद पिता बद्रीलालजी जाति काछी आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. बाबुलाल पिता मांगीलालजी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. बसन्तीलाल पिता प्यारचंद जी जाति काछी आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. रामलाल पिता प्यारचंद जी जाति काछी आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
6. रामचन्द्र पिता घासी जी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
7. मांगीलाल पिता घासी जी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा केली प0ह0 केली तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं0 281 की आराजी नं0 1999 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे0मु0चाह, आराजी नं0 2000 रकबा 1.0300 हैक्टैयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.0400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रू फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा केली प0ह0 केली तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 281 की आराजी नं0 1999 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे0मु0चाह, आराजी नं0 2000 रकबा 1.0300 हैक्टैयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.0400 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official